न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-163RAAJodhpur2022-50RTA223 Mohanram Vs Santosh etc

मोहनराम पुत्र श्री दलूराम, जाति विश्नोई, निवासी– ग्राम अमरपुरा राणेरी, तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. संतोष पत्नी राजेश कुमार, जाति विश्नोई, निवासी– ग्राम अमरपुरा राणेरी, तहसील बाप, जिला फलोदी।
02. मांगीलाल पुत्र दलूराम
03. बाबूराम पुत्र रेशमाराम
04. लक्ष्मी पत्नी बाबूराम
05. सुखराम पुत्र रेशमाराम
06. शारदा पत्नी सुखराम
07. मंगीलाल पुत्र सालूराम
08. मनोहरलाल पुत्र सालूराम
09. रामप्रताप पुत्र मनोहरलाल
10. रामनिवास पुत्र मनोहरलाल
11. हरिराम पुत्र मनोहरलाल
12. अशोक कुमार पुत्र मनोहरलाल
    जातियान् विश्नोई, निवासीगण– ग्राम मोडकिया, तहसील बाप, जिला फलोदी।
13. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा फलोदी, जरिये शाखा प्रबंधक, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
14. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा फलोदी, जरिये शाखा प्रबंधक, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
15. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा फलोदी, जरिये शाखा प्रबंधक, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2018 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 203/2016 संतोष बनाम मांगीलाल इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित–
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6, 10 से 12
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 16

नि र्ण य

दिनांक : 02 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 203/2016 अनवान संतोष बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 05 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम मोडकिया, तहसील बाप के खेत मूल खसरा नम्बर 174 रकबा 540.08 बीघा में सें विभाजित खसरा नंबर 174/2 रकबा 100 बीघा में से अपने 1/4 हिस्से बाबत धारा 53 एवं 88 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं घोषणा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31 मई 2018 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीन के वाद मे किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गई है तथा न ही किसी प्रकार के दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल वाद पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे को आधार मानते हुए विभाजन के वाद में नजरी नक्शा/विशेष भू–भाग अनुसार अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है जो अपास्त योग्य है। वाद–पत्र के साथ सलंगन नजरी नक्शे के विपरीत वादीनी का कब्जा काश्त है। वादीनी द्वारा गलत हिस्सों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। वादीनी का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पत्रावली विचारण न्यायालय में जवाब में चल रही थी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को बताया गया कि जब भी आपकी आवश्यकता होगी, आपको बुला लिया जायेगा। अपीलांट द्वारा दिनांक 23.03.2022 को वाद की कार्यवाही बाबत जानकारी चाही तथा दिनांक 23.03.2022 को संपूर्ण पत्रावली की नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 29.03.2022 को नकले प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2018 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील होने पर वह सन् 2017 में ही विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो चुका था। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा चार वर्ष बाद हस्तगत अपील विलंब से पेश की गई है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 147 रकबा 540.08 बीघा ग्राम मोडकिया में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक–हिस्सेनुसार एवं कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा हक–हिस्से में परिवर्तन का कोई उज्र उठाया गया है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधी निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 203/2016 अनवान संतोष बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2018 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-163RAAJodhpur2022-50RTA223 Mohanram Vs Santosh etc

अपीलाण्ट

मोहनराम पुत्र श्री दलूराम, जाति विश्नोई, निवासी— ग्राम अमरपुरा राणेरी, तहसील बाप, जिला फलोदी।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

01. संतोष पत्नी राजेश कुमार, जाति विश्नोई, निवासी— ग्राम अमरपुरा राणेरी, तहसील बाप, जिला फलोदी।
02. मांगीलाल पुत्र दलूराम
03. बाबूराम पुत्र रेशमाराम
04. लक्ष्मी पत्नी बाबूराम
05. सुखराम पुत्र रेशमाराम
06. शारदा पत्नी सुखराम
07. मंगीलाल पुत्र सालूराम
08. मनोहरलाल पुत्र सालूराम
09. रामप्रताप पुत्र मनोहरलाल
10. रामनिवास पुत्र मनोहरलाल
11. हरिराम पुत्र मनोहरलाल
12. अशोक कुमार पुत्र मनोहरलाल
    जातियान् विश्नोई, निवासीगण— ग्राम मोडकिया तहसील बाप, जिला फलोदी।
13. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा फलोदी जरिये शाखा प्रबंधक, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
14. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा फलोदी, जरिये शाखा प्रबंधक, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
15. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा फलो जरिये शाखा प्रबंधक, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जि फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2018 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 203/2016 संतोष बनाम मांगीलाल इत्यादि

यह अपील बतारीख 02 अप्रैल 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 203/2016 अनवान संतोष बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2018 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्व तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये -------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 02 अप्रैल 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर